समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

--: आदेश :--

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 138/शस्त्र, दिनांक 20-06-2015 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक 24-07-2015 से 27-07-2015 तक 10:00 बजे पूर्वा0 से 5:00 बजे अप0 संबंधित थाना में उपसिति होकर अपने-अपने शस्त्र, शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं गोली(कारतूस) का भौतिक सत्यापन कराने का निदेश दिया गया था एवं इसके लिए दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना भी जारी की गई थी। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो निर्धारित तिथि को शस्त्र/ शस्त्र अनुज्ञप्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करवा सके, उनके लिए एक अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1186/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 02-09-2015 के द्वारा दिनांक 07-09-2015 से 13-09-2015 तक के बीच भौतिक सत्यापन कराये जाने की तिथि निर्धारित करते हुए निदेश निर्गत किया गया। सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से प्राप्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि नीचे वर्णित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इसके लिए सभी अनुज्ञप्तिधारियों के नाम से अलग-अलग शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने के संबंध में सकारण उत्तर दिनांक 30-09-2015 से पूर्व समर्पित करने हेतु सूचित किया गया। लेकिन इन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के नाम से निर्गत पत्र यह अंकित कर वापस किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो गई है। शस्त्र अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत इन मृत अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करना एवं अनुज्ञप्ति पुस्त पर धारित शस्त्र को संबंधित थाना में जमा कराना अति आवश्यक है। विवरणी इस प्रकार है :-

क0	अनुज्ञप्तिधारी का नाम/ पता	अनु0सं0/वर्ष	शस्त्र का प्रकार	शस्त्र सं0
01.	श्री शंभु शरण सिंह पे0 श्री जागेश्वर सिंह, सा0 लालपुर, थाना सिंहेश्वर जिला मधेपुरा।	01/1981 (सिंहेश्वर थाना)	एक नाली बन्दुक	206465/749
02.	श्री नुरुल होदा पे0 श्री अब्दुल हाफीज, सा0 मधैली बाजार, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा।	23/1967	दो नाली बन्दुक	4813
03.	श्री धर्म चन्द्र साह पे0 .... सा0 रायभीर, टोला अरताहा, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा	29/1968	दो नाली बन्दुक	45620
04.	श्री श्याम सुन्दर सिंह पे0 स्व0 शिवेन्द्र ना0 सिंह, सा0+पो0 गम्हरिया, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा।	03/82 (सिंहेश्वर थाना)	दो नाली बन्दुक	7442
05.	श्री युगेश्वर प्र0 यादव पे0 श्री सत्य ना0 यादव सा0 कटैया (जीवछपुर), पो0 रुपौली, थाना सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा	870/20	दो नाली बन्दुक	7932
06.	श्री कृपाशंकर सिंह पे0 श्री सूरज प्र0 सिंह, सा0+पो0 गम्हरिया, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा।	67/2801	दो नाली बन्दुक	11289
07.	मो0 जहीरुद्दीन चौधरी, पे0........... सा0 झिटकिया टोला लक्ष्मीनियाँ, थाना घैलाढ़ जिला मधेपुरा।	1161/1158	दो नाली बन्दुक	15485
08.	श्री अनन्त कुमार पे0 श्री रामकृष्ण सिंह, सा0 श्रीनगर पो0 रामनगर, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा।	07/1967	दो नाली बन्दुक	30774
09.	श्री विन्देश्वरी प्र0 सिंह पे0 श्री पलकधारी सिंह सा0 रामपुर खोड़ा, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा।	01/83 (उदाकिशुनगंज)	दो नाली बन्दुक	5523 सी0/9
10.	श्री बलराम दास पे0 श्री महावीर दास सा0+थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा।	131/पूर्णियाँ	दो नाली बन्दुक	14275
11.	श्री रामेश्वर मिश्र पे0 स्व0 परमानन्द मिश्र सा0 बेलाही, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा।	1564/1972	दो नाली बन्दुक	ए0-1055
12.	श्री शंभु प्र0 सिंह पे0 जगनाथ सिंह सा0+पो0 गमैल, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपरा।	04/83 (उदाकिशुनगंज)	दो नाली बन्दुक	2877

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21(2) के अधीन उपर्युक्त तालिका में दर्ज सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है तथा मृत अनुज्ञप्तिधारियों

थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर/शंकरपुर/गम्हरिया/घैलाढ़/कुमारखंड/उदाकिशुनगंज/बिहारीगंज को आदेश दिया जाता है कि मृतक अनुज्ञप्तिधारियों के वारिसान/ परिवारिक सदस्य से सम्पर्क स्थापित कर मृत अनुज्ञप्तिधारी का मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं धारित शस्त्र प्राप्त कर लेंगे तथा उसका पावती रसीद उपलब्ध करा देंगे। जप्त किए गए शस्त्र को सुरक्षित थाना मालखाना में जमा रखेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में मृतक के वारिसान या उनके पारिवारिक सदस्य को हस्तगत नहीं करायेंगे। मूल अनुज्ञप्ति पुस्त सीधे जिला शस्त्र कार्यालय, मधेपुरा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त तालिका में अंकित अनुज्ञप्तिधारी का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त होने पर उसे रद्द कर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी में भी इस आशय को दर्ज कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 381 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 27/10/15

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा/ सभी संबंधित थानाध्यक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।